

Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment	Entertainment & Event
Property	Hobbies & Interests
Business Opportunity	Services
Vehicles	Jewellery & Watches
Announcements	Music
Antiques & Collectables	Obituary
Barter	Pets & Animals
Books	Retail
Computers	Sales & Bargains
Domain Names	Health & Sports
Education	Travel
Miscellaneous	

Matrimonial (Sunday Only)



अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

न्यूज डायरी

प्रेम, करुणा और अहिंसा का समुद्र हैं दलाई लामा: स्वामी चिदानन्द सरस्वती

संवाददाता ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने दलाई लामा के 86वें जन्मदिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन में उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन हेतु विशेष यज्ञ और प्रार्थना की। स्वामी जी ने दलाई लामा जी को 86 वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुये कहा कि दलाई लामा जी ने पूरी दुनिया को प्रेम, करुणा, अहिंसा और शान्ति का संदेश दिया और आज अपने 86 वें जन्म दिवस पर भी उन्होंने अपने वैश्विक परिवार को चेहरे पर मुस्कान और मित्रता का संदेश दिया। स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने पूरी दुनिया को प्रेम, करुणा, अहिंसा और शान्ति का संदेश देने वाले परम पावन दलाई लामा जके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हुये परमार्थ निकेतन प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया।

जी जी इंजीनियरिंग लिमिटेड ने पूरी तरह से भारत में बने ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किए

संवाददाता देहरादून। बीएसई में सूचीबद्ध जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीएसई:540614) ने अपनी नई प्रोडक्ट लाइन, ईवी चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करने के लिए कंपनी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन को 3 के डब्ल्यू से 22 के डब्ल्यू तक विकसित किया है। कंपनी जल्द ही ईवी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शुरू करेगी। इन स्टेशनों का उपयोग 2/3/4 पहिया वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। 3 महीने में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू हो जाएगा। यह उत्पाद पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर, जीजीई ने भारत का पहला पूर्ण-स्वचालित और स्मार्ट आरवीएम लॉन्च किया।

सिजोफ्रेनिया को दवा के बिना ठीक किया जा सकता है: डॉ. कैलाश मंत्री

संवाददाता हल्द्वानी। सिजोफ्रेनिया एक बहु व्यक्तित्व विकार नहीं है। यह और कुछ नहीं लेकिन वास्तविकता से विचार का नुकसान है और इसे डॉ. कैलाश मंत्री ने बिना दवा के ठीक करने का दावा किया है। मुंबई स्थित डॉ. कैलाश मंत्री एक लाइफ कोच हैं, और उन्होंने स्वीडिश सिजोफ्रेनिया को दानव की उपमा दी है। वो पिछले 25 वर्षों से स्वीडिश सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों को बिना दवाई ठीक कर रहे हैं। मनोरोग प्रतिरोधी ड्रग्स मानसिक कोहरे संज्ञानात्मक हानि जैसे कई अप्रिय दुष्प्रभाव पैदा करते हैं। स्वीडिश सिजोफ्रेनिया का दृष्टिकोण बदल रहा है। डॉ. कैलाश मंत्री जी का कहना है कि मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। दवाईयों का इस्तेमाल सिजोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि केवल व्यक्ति को अधिक सुस्त दिखाने और बनाने के लिए किए जाते हैं।

आप ने किया झुनझुने बजाकर प्रदर्शन, विधायक आवास घेरा

प्रदर्शन

'विधायक हरबंस कपूर के साथ हुई तीखी नोकझोंक'

संवाददाता

देहरादून। कैंट विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद के नेतृत्व में बस्तियों के नियमितिकरण की मांग को लेकर एंव वहां बारिश के कारण होने वाली परेशानियों को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरबंस कपूर के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारी झुनझुने बजा कर उनके आवास तक पहुंचे और वही झुनझुने विधायक को दिए जिस पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रविंद्र सिंह आनंद ने नेतृत्व में अनुराग चौक पर एकत्र हुए और उन्होंने वहां से झुनझुने बजाते हुए नारेबाजी करते हुए क्षेत्रीय विधायक हरबंस कपूर के आवास की ओर कूच किया। रास्ते में पुलिस की ओर से जबरन

नियमितिकरण की मांग पर पकड़ाए झुनझुने विधायक आवास पर फेंके



उन्हे रोकने की कोशिश की गई परंतु वे नारेबाजी करते हुए विधायक आवास तक पहुंच गए और वही पर धरना दे दिया। काफी नारेबाजी के पश्चात विधायक हरबंस कपूर बाहर आए कहा कि कौन हो कहां से आये हो जिस पर जनता भड़क गई। लोगों ने कहा कि 35 सालों में आप हमें नहीं पहचानते

जिस पर विधायक जी ने हाथ जोड़ कर सभी को शान्त करवाया और उन्होंने वार्ता के लिए कहा। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि नियमितिकरण के नाम पर बीजेपी ने जनता को झुनझुना पकड़ा कर 5 साल खराब किए। मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सभी झुनझुने विधायक आवास पर ही उनके हाथ में दे दिए जिस पर आप कार्यकर्ताओं एवं विधायक हरबंस कपूर के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आनंद ने कहा कि ना तो बस्तियों को मालिकाना हक मिला ना ही नदी नाले किनारे बसे लोगों की सुरक्षा ही हुई उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही नियमितिकरण को लेकर के कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नियमितिकरण को लेकर कैंट विधायक हरबंस कपूर ने यह कहा था कि जल्द ही बस्तियों का निमीतिकरण होगा परन्तु इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जिस पर आज पिछली बार बारिश के कारण परेशान होने वाले लोगों को आज मजबूरन इस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ आ कर प्रदर्शन करना पड़ा। आनन्द ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस प्रदर्शन के बाद चुप नहीं बैठेगी। यदि जल्द ही इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।

पत्नी के 73 टुकड़े करने वाले पति को हाईकोर्ट से राहत नहीं

संवाददाता नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के अभियुक्त राजेश गुलाटी के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि नियत की है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। दरअसल, 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और अपराध छिपाने के लिए उसने शव के 72 टुकड़े कर डी फ्रिजर में डाल दिए थे। 12 दिसम्बर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तो

हत्या का खुलासा हुआ। देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को पहली सितम्बर 2017 को आजीवन कारावास के साथ ही 15 लाख रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया, जिसमें से 70 हजार राजकीय कोष में जमा करने व शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना। राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 1999 में लव मैरिज करके शादी की थी। राजेश गुलाटी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में 2017 में चुनौती थी। मंगलवार को उसकी तरफ से इलाज हेतु अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया गया।



सीएस ने पुलिस विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की

संवाददाता देहरादून। मुख्य सचिव एस.एस. संधू से मंगलवार को सचिवालय में पुलिस विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्य सचिव संधू ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को पब्लिक डीलिंग के स्तर पर people friendly होना चाहिए, ताकि लोग पुलिस के पास अपनी समस्याएं लेकर आने में न हिचकिचाएं। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को बांटे विभाग, इनका बढ़ा कद

संवाददाता देहरादून। उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 15 विभाग खुद के पास रखे हैं। बीते दो मुख्यमंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा था लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग मंत्री डॉ धन सिंह रावत को मिला है।

मुख्यमंत्री ने खुद के पास सतर्कता, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना, तकनीकी शिक्षा, वित्त आदि विभाग रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने मंत्री सतपाल महाराज को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, पर्यटन, धर्मस्व, लोक

■ मुख्यमंत्री ने 15 विभाग खुद के पास रखे हैं

■ इस बार स्वास्थ्य विभाग मंत्री डॉ धन सिंह रावत को मिला

निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है।

डॉ हरक सिंह रावत को वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आयुष, आयुष शिक्षा, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, बंशीधर भगत को खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन, आबकारी, विशन सिंह चुफाल को नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम निर्माण, जनगणना, सुबोध उन्ियाल

को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, अरविंद पांडेय को विद्यालयी शिक्षा बेसिक व माध्यमिक, युवा कल्याण, पंचायती राज, गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उदयम, डॉ. धन सिंह रावत को सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है।

इसके अलावा रेखा आर्य को महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, यतीश्वरानंद को भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उदययोग, ग्राम्य विकास विभाग सौंपा है।

सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर

संवाददाता नैनीताल। उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2005 बैच के कॉन्टेबलों को नई पेशन स्कीम में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओ पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए तीन सप्ताह में शपथपत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि इस मामले पर कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने हेतु पहले भी समय दिया जा चुका है, परन्तु अभी तक जवाब पेश नहीं किया गया है।

सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका रही है। जिस पर कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई हेतु तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत कर दी है। पुलिस विभाग में कार्यरत गुरमीत कौर व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वह कॉन्टेबल के पद पर 22 अक्टूबर 2005 में भर्ती हुए थे।